

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला मण्डला (म0प्र0)
क्रमांक/ 353/सामा.न्याय/डीडीआरसी/2024

मण्डला दिनांक 13 फरवरी 2024

संशोधित विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 2475/13062/23/26-2 भोपाल दिनांक 23/08/2023 के परिपालन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मंडला जिला मंडला म.प्र.के अंतर्गत निम्न पदों की संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं पदस्तर वेतनमान, संविदा पारिश्रमिक, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	वर्ग	पदों की संख्या	योग्यता /अनुभव	मानदेय
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक	अनारक्षित	01	क्लीनिकल साईकलोजिस्ट - क- क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम0फिल0 ख- क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा । पुनर्वास मनोचिकित्सक - क- पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम0फिल ख- पुनर्वास मनोचिकित्सा में ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500
2	वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट / आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	अनारक्षित	01	फिजियोथेरापिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीपीटी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीओटी (ऑचित्य - पीटी और ओटी दोनों पूरी तरह से अलग अलग विषय है और दोनों की दिव्यांगता पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण और अलग-अलग भूमिकाएं हैं)	20500
3	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट	अनारक्षित	01	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीओपी) में स्नातक	20500
4	सीनियर स्पीच थेरापिस्ट / ऑडियोलॉजिस्ट	अनारक्षित	01	ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथालॉजी (बीएसएलपी) में स्नातक या बी.एस.सी. स्पीच एंड हियरिंग	20500
5	प्रोस्थेटिस्ट /ऑर्थोटिस्ट (टेकनीशियन)	अनारक्षित	01	पी एंड ओ में डिप्लोमा या 3 साल के अनुभव के साथ पी एण्ड ओ में प्रमाण पत्र	16000
6	हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरापिस्ट (ईयर मोल्ड टेकनीशियन)	अनारक्षित	01	श्रवण यंत्र की जानकारी /मरम्मत /कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) ईयर, मोल्ड तकनीशियन पात्रता हियरिंग एंड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	16000
7	मोविलिटी इन्स्ट्रक्टर	अनारक्षित	01	दसवीं - गतिशीलता में सर्टिफिकेट /डिप्लोमा, पात्रता	14500

				अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बीएमएससी) या दृष्टि बाधिता में डी.एड विशेष शिक्षा /बी.एड विशेष शिक्षा	
8	मल्टीपपर्ज रिहेब्लिटेेशन वर्कर	अनारक्षित	01	बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट/समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) / समुदाय आधारित समावेशीय विकास (सीबीआईडी) / एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14500
9	एकाउन्टेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर	अनारक्षित	01	दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0काम /एस0ए0एस)	14500
10	अटेन्डेंट कम प्यून कम मैसेन्जर	अनारक्षित	01	8वीं पास	9500
11	वोकेशनल काउन्सलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट	अनारक्षित	01	व्यवसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) / (बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा एडीसीजीसी) / पुनर्वास विज्ञान में स्नातक	14500
12	ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल एड्युकेटर (एम.आर.)	अनारक्षित	01	(1) श्रवण बाधिता में डीईडीएसई /बीईडीएसई (2) बीआई /आईडी /सीपी/ एमडी / डीबी /एसडी /एसएलडी में डीईडीएसई /बीईएसई	16000
13	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर	अनारक्षित	01	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव	18000
14	चौकीदार	अनारक्षित	01	8वीं पास	कलेक्टर दर पर (अकुशल श्रमिक)

नियुक्ति संबंधी शर्तें -

- शासन के निर्देशानुसार पदों में भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी। अनु.जा., अनु.जनजा. अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होगी। आयु की गणना 01/01/2024 से की जावेगी।
- आवेदक का मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- विज्ञप्ति के तकनीकी पदों हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)/भारतीय चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन की वैधता विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष की हो।
- नियुक्ति जिला प्रबंधन दल (डी.एम.टी.) मण्डला द्वारा की जावेगी। विज्ञापित पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया एवं किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में दल (डी.एम.टी.) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
- यह पद पूर्णतः संविदा नियुक्ति का है। संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी। भविष्य में संविदा नियुक्ति के आधार पर शासन के किसी विभाग /उपक्रम में नियमितीकरण सम्बंधी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि संविदा अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा एक माह का संविदा पारिश्रमिक देय होगा।
- संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
- संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

10. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जावेगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण रहे बिना सूचना कर्तव्य से 1 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो संविदा स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
12. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या विभाग को नहीं देगा, तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
13. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त की जावेगी।
14. चयनित को संविदा में नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने पर तत्काल नियुक्ति अधिकारी के साथ 200 रु के नान ज्यूडिशियल स्टॉप पर करारनामा निष्पादित करना होगा। साथ ही 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि का बान्ड भी भरवाया जावेगा। यदि वह नियम संविदा अवधि के पूर्व से त्याग पत्र देकर अन्यत्र स्थान पर पदभार ग्रहण करता है, तो उसे उक्त राशि शासन के पास जमा करनी होगी। उक्त समस्त व्यय उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा।
15. आवेदक आवेदन के साथ स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा एवं ई.मेल आई.डी संलग्न करें।
16. आवेदक आवेदन के प्रारूप अनुसार अपनी पूर्ण जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्रों एवं एवं अन्य अर्हताओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित योग्यता एवं शर्तें पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन स्वयं ही निरस्त माना जावेगा।
17. पात्र आवेदकों को साक्षात्कार हेतु जिला प्रबंधक दल (डी.एम.टी.) के निर्णयानुसार मेरिट आधार पर बुलाया जावेगा।
18. कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस होगी। आवेदन कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जायेंगे निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. निर्धारित प्रारूप में टाईप किया हुआ अपना आवेदन सम्पूर्ण जानकारी एवं मांगे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ सादे सीलबंद लिफाफे पर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा कार्यालयीन समय में उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मण्डला जिला पंचायत मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) में जमा किये जा सकते हैं। लिफाफे पर जिस पद पर आवेदन किया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

आवेदन पत्र निम्न प्रारूप पर नवीन पासपोर्ट फॉटो के साथ देवें।

1. पद नाम 2. आवेदक का नाम 3. आवेदक के पिता/पति का नाम 4. आवेदक का वर्तमान पता 5. स्थायी पता 6. मोबाईल नम्बर 7. जन्मतिथि (अंकों में)शब्दों में.....
8. शैक्षणिक योग्यता—


क्रं.	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक /प्राप्तांक	प्रतिशत
-------	------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------

9. कार्य अनुभव/प्रमाणपत्र सहित प्रमाणपत्र विस्तृत विवरण कब से कब तक कंपनी /विभाग/संस्था का नाम धारित पद।

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र मण्डला को होगा।

दिनांक.....स्थान.....आवेदक के हस्ताक्षर.....


कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र
जिला मण्डला (म.प्र.)